भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

13.12.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1795 का उत्तर

झारखंड में स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1795. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड सहित देश में कितने प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है और कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने का विचार है;

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर खर्च की जाने वाली संभावित निधि का ब्यौरा क्या है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

झारखंड में स्टेशनों का आधुनिकीकरण के संबंध में दिनांक 13.12.2023 को लोक सभा में डॉ. निशिकांत दुबे के अतारांकित प्रश्न सं. 1795 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/अपग्रेडेशन करना सतत और चालू प्रक्रिया है। गांधीनगर कैपीटल, रानी कमलापति और सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल आदि के पुनर्विकास से प्राप्त अनुभव के आधार पर रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है।

अभी तक, झारखंड राज्य में 57 स्टेशनों सहित 1309 अदद स्टेशनों के विकास का कार्य शुरू किया गया है।

इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पकना की गई है। इसमें प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों तक पहुंच में सुधार लाना, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकता अनुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के जरिए स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यापारिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुख-सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इन्हें विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करना शामिल है।

इस योजना में स्टेशन इमारत में सुधार करने, शहर के दोनों छोर के साथ स्टेशन को एकीकृत करने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार 'रूफ प्लाज़ा', लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर की चरणबद्ध योजना व व्यवर्हायता और निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटन का ब्यौरा राज्य-वार या स्टेशन-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है। स्टेशनों का विकास और यात्री सुविधाओं का प्रावधान सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत वित्तपोषित की जाती है।

योजना शीर्ष-53 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए कुल 13,355 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विकास जटिल प्रकृति का है जिनमें यात्रियों और गाड़ियों की संरक्षा जुड़ी होती है और उसके लिए अग्नि संबंधी क्लियरेंस, विरासत, पेड़ काटने, विमानपत्तन से संबंधित मंजूरी आदि जैसी विभिन्न सांविधिक मंजूरियों की आवश्यकता होती है। प्रगति, ब्राउन फील्ड से संबंधित चुनौतियों जैसे जनोपयोगी सेवाओं (जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्रियों के आवागमन को बाधित किए बिना गाड़ियों का परिचालन, उच्च विभव वाले बिजली लाइनों के निकट किए गए कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि के कारण भी प्रभावित होता है और ये कारक कार्य पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

*****